

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 927]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 7, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/2498/2025.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को सम्मिलित कर नगर पंचायत मोहला, जिला— मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है:—

अनुसूची —1

नगर पंचायत मोहला में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	मोहला	8210
2	छुरिया	471
3	चिलमटोला	509
4	माडिंगपिड़िग धेनू	1066

अनुसूची —2

नगर पंचायत मोहला की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

ग्राम पंचायत मोहला, ग्राम छुरिया, चिलमटोला एवं माडिंगपिड़िग धेनू की सीमाएं ही नगर पंचायत मोहला की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव, कलेक्टर जिला—मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

क्रमांक GENCOR/2498/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th November 2025

NOTIFICATION

No. GENCOR/2498/2025.— In exercise of the powers conferred by section 5(1)(b) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Nagar Panchayat Mohla in District-Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki as per Schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas to be included in limits of Nagar Panchayat Mohla is as under :-

S.No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Mohla	8210
2	Churiya	471
3	Chilamtola	509
4	Madingpidig Dhenu	1066

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Mohla is as under :-

The Boundaries of the Nagar Panchayat Mohla shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Mohla, Village Churiya Chilamtola and Madingpidig Dhenu.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.